न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
113/2024	04.04.2023	04.09.2024

उनवान

1. अर्चना पत्नी नरेश पाटोदी निवासी 49 आदर्श मोहल्ला, भीलवाडा।
2. सीमा पत्नी मुकेश पाटोदी, निवासी माणिक्यनगर भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1. कमलेश पिता नाथुलाल न्याती, निवासी भदादा बाग के पिछे, भोपालगंज, भीलवाडा
2. महेश पिता नाथुलाल न्याती, निवासी भदादा बाग के पिछे, भोपालगंज, भीलवाडा
3. रवीन्द्र पिता नाथुलाल न्याती, निवासी भदादा बाग के पिछे, भोपालगंज, भीलवाडा मृतक जरिये विधिक वारीसान :—

3/1 — दीपक पिता रवीन्द्र न्याति निवासी 1 —डी—7 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।
3/2 — कला पत्नी रवीन्द्र न्याति निवासी 1 —डी—7 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।
3/3 — ज्योति पुत्री रवीन्द्र न्याति निवासी 1 —डी—7 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।
3/4 — टीना पुत्री रवीन्द्र न्याति निवासी 1 —डी—7 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।

4. विष्णुस्वरूप पिता नाथुलाल न्याती, निवासी भदादा बाग के पिछे, भोपालगंज, भीलवाडा।
5. विनोद कुमार पिता अमर सिंह जी मेहता, निवासी शाम की सब्जी मण्डी भीलवाडा

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी श्री भैरूलाल बापना
अधिवक्ता राकेश जैन, वि0 2, 4
अप्रार्थी संख्या 01, 03, 05 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: **निर्णय** :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम प्रथम भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069—2073 के खाता संख्या 65 की अभिलिखित आराजियात 8345/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 8336/2 रकबा 0.4046 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के डौसी खातेदारान है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 03 व 05 उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 02, 04 अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 65 की अभिलिखित आराजियात 8345/1 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 8336/2 रकबा 0.4046 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7587 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा

आराजी नम्बर 8345/2 राजस्व ग्राम पुर में आने-जाने के लिये आराजी नम्बर 8345/1 में से उत्तर बाउण्ड्री की तरफ 30 फीट छोडे निजी रास्ते को किसी प्रकार से बन्द नहीं करें, आने-जाने में किसी प्रकार की रूकावट/बाधा उत्पन्न नहीं करें।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा